फार्म 3 FORM 3 (नियम 54 (12) देखें) [See Rule 54 (12)] परिवार का विवरण (Details of Family)

सरकारी कर्मचारी का नामः							
Name of the Government Servant							
	पदनामः						
	Designa						
	जन्म तिथि						
	Date of Birth						
नियुक्ति की तारीखः							
Date of appointment							
दिनांक/ 201को मेरे परिवार* का विवरण निम्नानुसार है:- Details of the members of my family* as on:/201							
	कम सं.	परिवार* के सदस्यों के		अधिकारी के साथ	कार्यालयाध्यक्ष	अभ्युक्ति	
	(Serial	नाम	(Date of		के हस्ताक्षर	01-314(1	
	No.)	(Name of the	Birth)	(Relationship	(Initials of	(Remarks)	
		members of family*)		with the officer)	the Head		
1	1	2	3	4	of Office)	6	
-	1.	2	3	LT	3	0	
	2.						
1	3.						
	4.						
	5.						
	6.						
	7.						
	8.						
	9.						
	9.						
मैं यह घोषणा करता / करती हूँ कि कार्यालयाध्यक्ष को किसी भी प्रकार के संवर्धन अथवा संशोधन की							
	म् यह धाषणा करता / करता हूं कि कायालयाध्यक्ष का किसा मा प्रकार के संवधन अथवा संशोधन का सूचना देते हुए मैं, उक्त जानकारी को अद्यतन रखूंगा / रखूंगी।						
	(I hereby undertake to keep the above particulars up-to-date by notifying to the						
	Head of the Office any addition or alteration.)						
ख्यान (Place)							
	स्थान (Place)						
	दिनांक (Dated) Signature of the Govt. Servant						
	* इस प्रयोजन के लिए परिवार से आशय है जैसे कि परिवार की परिभाषा सीसीएस (पेंशन) नियम,						
	1972 के नियम 54 के उप—नियम(14) के खंड (ख) में दी गई है।						
(* Family for this purpose means family as defined in Clause (b) of sub rule (14) of Rule 54 of the CCS Pension Rules, 1972.)							
टिप्पण:- पत्नी तथा पति में क्रमशः न्यायिक रुप से पृथक हुए पत्नी तथा पति शामिल हैं।							
	(NOTE Wife and husband shall include respectively judicially separated wife and						

husband.)